न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **45/2009** दायर दिनाँक **04.05.2009**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. शिवकरण पुत्र नानूराम, जाति—जाट, उम्र—60साल, 2. पेमी पत्नी खांगाराम, जाति—जाट, उम्र—45साल, समस्त,निवासी—गोदरास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. मूलाराम पुत्र खांगाराम, 3. आनन्दाराम पुत्र खांगाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—गोदरास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री भैरोंसिंह शेखावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 02 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **10.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद गोदरास में खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 229/327 रकबा 04.15 बीघा वादी शिवकरण की खातेदारी की एवं खसरा नम्बर 152/299 रकबा 02.16 बीघा व खसरा नम्बर 229/328 रकबा 11.15 बीघा भूमि की खातेदारी वादीनी पेमी व प्रतिवादी मूलाराम व आनन्दाराम की खातेदारी की भूमि है। उक्त खेतों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां वाद के साथ पेश है।

उक्त वादीगण का उक्त खेताय पहले एक ही था व आज भी एक ही सीमा में अवस्थित है, लेकिन गत सैटलमेन्ट की भूल से उक्त खेताय में से एक कटाणी रास्ता राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेश में दर्शा दिया गया, जिसमें वादीगण से द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों ने इसका नाजायज फायदा उठाकर जबरदस्ती यह रास्ता खुलवा लिया जिससे यह खेत दो भागों में विभक्त हो गया जबकि गाँव गोदरास से आने—जाने के लिए वादीगण की इसी खेत खसरा नम्बर 152 व खसरा नम्बर 229/327 व खसरा नम्बर 152/299 तथा 229/328 की उत्तरी सींव पर कदीम से कटाणी रास्ता विद्यमान रहा है और आज भी विद्यमान है जिस रास्ते से होकर ही गोदरास की आम—जनता बेरोक टोक आने—जाने के काम में लेने कदीम से चले आ रहे है। यहाँ आज भी आम पक्की डामर की सड़क का निर्माण भी किया जा चुका है। वादीगण ने अपने खेत का नजरीनक्शा वाद के साथ पेश किया है। जो वाद का भाग है जिसको अनुसूची "अ" से दर्शाया गया है।

वादीगण द्वारा पेश नजरीनक्शा में मार्क ए ता बी ग्राम कोलिया से ग्राम खुनखुना आने—जाने वाली सड़क को दर्शाया गया है तथा इस सड़क से फंट कर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–45/2009
दायर दिनाँक 04.05.2009, निर्णय दिनाँक 10.11.2017
शिवकरण, वगैरा बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

वादीगण के खेत खसरा नम्बर 152, 229/327, खसरा नम्बर 152/299 व खसरा नम्बर 229/328 की उत्तरी सींव पर कटाणी रास्ता आम डामर की लड़के को नक्शा में मार्क सी ता डी से दर्शाया गया है जो गोदरास गाँव में जाती है। वादीगण के खेत में जो राजस्व अधिकारियों की भूल व सहवन से जो काल्पनिक रास्ता बताया गया है उसको वादीगण ने अपने नक्शा में ई ता एफ से दर्शाय है जो रास्ता मौके पर कभी नहीं रहा न आजं है। फिर भी वादीगण ने दावा आवश्यकता व जरूरत के अनुसार दर्शाया गया है जिस पर वादीगण का कब्जाकाश्त सदैव से रहा है व वर्तमान में भी है। कटाणी रास्ता पर वर्तमान में डामर की सड़क बन चुकी है जिसको सी ता डी से दर्शाया गया है उसमें मार्क डी स्थान पर दोनों रास्ते वादीगण के खेत के समाप्त होते ही मिल जाते है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नक्शा में देखने से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट हो जाता है जो वादीगण के खेतों में नक्शे में मार्क इ ता एफ भूमि रास्ता की दर्शाई गयी है उसका कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। यदि वादीगण की भूमि में कटाणी रास्ता दर्ज रह गया तो वादी की भूमि कटाणी रास्तों में ही खराब हो जायेगी। वादीगण का जीवन काश्त की भूमि पर निर्भर है वहाँ वादीगण काश्त भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए वादीगण को यह वाद करना आवश्यक हुआ है।

वादी शिवकरण ने एक वाद माननीय सिविल जज (क.ख.) डीडवाना में मुकदमा नम्बर 23/2000 पेश किया जिसका निर्णय 30.05.2001 को डिक्री हुआ जिसकी प्रतिलिपियां वाद के साथ पेश है। उक्त निर्णय अनुसार नक्शे में मार्क सी ता डी कटाणी रास्ता पर डामर की सड़क वादीगण की खेत की उत्तरी सीमा पर करीब 30 फिर चौड़ी का निर्माण भी उक्त निर्णय के बाद हो चुका है। उक्त वादी शिवकरण को उक्त रास्ते नक्शे में मार्क ई ता एफ की भूमि बाबत् वाद पेश करना था मगर वादी शिकरण के अधिवक्ता का अचानक स्वर्गवास हो गया। जिससे वादी गरीब व अनपढ होने से कोई कार्यवाही राजस्व न्यायालय में नहीं कर सका। नजरीनक्शा में मार्क सी ता डी स्थान पर जो डामर की सड़क का निर्माण हुआ है उस आम सड़क में वादीगण की खेत की भूमि वेस्ट हो चुकी है। वादीगण उक्त रास्ता की भूमि जाने से उस वक्त इसलिए एतराज नहीं कर सका कि वादीगण के खेत में जो रास्ता सहवन से भूमि दर्ज हो गयी वो भूमि वादीगण को प्राप्त हो जायेगी। नक्शा में मार्क ए ता बी पर जो कोलिया से खुनखुना आम सडक जाती है वहाँ पर भी पश्चिमी तरफ की वादीगण की खेत की भूमि उक्त सड़क सीमा में चली गयी।

शिवकरण द्वारा प्रस्तुत मुकदमा नम्बर 23/2000 माननीय न्यायालय सिविल जज (क.ख.) द्वारा दिनाँक 30.05.2001 को निर्णय डिक्री द्वारा आदेश जारी हुआ किये जा चुके है कि खसरा नम्बर 152 व 229/327 के बीच कटाणी रास्ता नक्शा में मार्क ई ता एफ पर कोई डामर की सड़क निर्माण नहीं करे और न ही अन्य से निर्माण की कराए तथा नक्शा में मार्क सी डी कटाणी रास्ता से होकर डामर सड़क ग्राम गोदरास तक बनाई जावे। इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण को प्राप्त हो चुकी है। इसलिए प्रतिवादीगण तहसीलदार जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, भी उक्त आदेश से बाध्य हैं। फिर भी वादीगण को उक्त रास्ता हेतु विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार डीडवाना के विरूद्ध वाद लाने से पूर्व अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन चूँकि यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने से उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। अलग से न्यायालय की स्वीकृति के बाबत् आवेदन पेश कर यह वाद लाया गया है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

क्योंकि मनरेगा द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है इसलिए यह वाद आवश्यक प्रकृति का है।

वादीनी पेमी व प्रतिवादी मूलाराम आनन्दाराम का हित एक ही है मगर वे अभी सकुन्त पर हाजिर नहीं होने से उनको प्रर्फोमा प्रतिवादीगण बनाया गया है।

विनाया दावा दिनाँक 01.06.2000 को वादी शिवकरण द्वारा वाद संख्या 23/2000 पेश करने व उक्त वाद का निर्णय दिनाँक 30.05.2001 को होने से लेकर वर्तमान में दिनाँक 12.04.2009 को पुनः मनरेगा द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी होने से एवं वादीगण के खेताय के मध्य से नरेगा प्रारम्भ करने की धमकी देने पर लगतार पैदा हो रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद गोदरास में खेत खसरा नम्बर 152, 229/327 व खसरा नम्बर 152/299 तथा खसरा नम्बर 229/328 के भाग के मध्य नक्शे में मार्क ई ता एफ की भूमि का खातेदार घोषित वादीगण व प्रतिवादीगण व आनन्दाराम को किया जावे।

तहसीलदार डीडवाना के नाम आदेश किया जावे कि वे नक्शे में मार्क ई ता एफ पर भविष्य में किसी प्रकार का नया निर्माण न स्वयं करे, न अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये तथा वादीगण के हिस्से में न स्वयं दखल करे न किसी अन्य से करावे।

दौराने वाद यदि नक्शे में मार्क ई ता एफ की भूमि पर नया निर्माण करले तो उसे उसे अपने खर्च से हटाया जावेगा।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। साक्ष्य वादी में शपथ–पत्र पेश हुआ।

प्रतिवादी संख्या 01 ने आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया व उनके विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही आपास्त की गयी है। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं होने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। वादीगण का वाद धारा 16 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध होने से दिनाँक 19.05.2017 को खारिज किया गया। प्रार्थी शिवकरण ने प्रार्थना–पत्र बावत् पुनर्विलोकन मय शपथ–पत्र पेश किया। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में ऐसे विधिक साक्ष्य हैं जिनका निस्तारण पुनः सुनवाई एवंय साक्ष्य सबूत के आधारों पर ही किया सकता है। आदेशिका दिनाँक 19.05.2017 को जारी किया गया ओदश एकपक्षीय है व वादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश दरख्वास्त बावत् पुनर्विलोकन स्वीकार जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया।

वाद के समर्थन में वादीगण ने प्रदर्श–01 नजरीनक्शा अनुसूची "अ", प्रदर्श–02 जमाबन्दी ग्राम गोदरास सम्वत् 2067–2070 खेवट संख्या 174/152 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–03 जमाबन्दी ग्राम गोदरास सम्वत् 2067–2070 खेवट संख्या 131/114 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–04 ग्राम गोदरास नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–05 वादीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पेश वाद की प्रमाणित

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–45/2009
दायर दिनाँक 04.05.2009, निर्णय दिनाँक 10.11.2017
शिवकरण, वगैरा बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

प्रतिलिपि, प्रदर्श–06 वाद के साथ पेश नक्शा ट्रेश की प्रमाणित फोटो कॉपी, प्रदर्श–07 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. वर्ग डीडवाना में वाद संख्या 23/2000 के निर्णय दिनाँक 30.05.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश हुए।

सारगर्भित बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादीगण की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही कि वादीगण के खैताय के दोनो तरफ मुख्य आम सड़क है तथा उक्त रास्ता बाबात् माननीय सिविल न्यायालय में वाद राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया एवं उक्त वाद दिनाँक 30.05.2001 को डिक्री किया गया। उक्त रास्ता पर कोई निर्माण नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया, जिसकी आज तक कोई अपील नहीं हुई है। वादित रास्ता मौके पर भी नहीं है। वादीगण खेतीहर मजदूर पैसा व्यक्ति है यदि वादित खसरान् के बीच में से रास्ता रहा तो वादीगण खेती करने एवं सारसम्भाल करने से महरूम रहेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादित खसरान् पर कोई डामर की सड़क का निर्माण नहीं करे और न ही अन्य से करावे, ऐसी विवेचना माननीय सिविल न्यायालय की भी है। इसलिए वादित रास्ते का कोई औचित्य नहीं रह जाता है एवं वादीगण के खेताय खण्डों में विभक्त रहने से वादीगण को अत्यधिक नुकशान है इसलिए वादित रास्ते की भूमि वादीगण के उत्तर व पूर्वी सीमा पर अवस्थित में ही इस रास्ते की भूमि को समाहित करना हमारे मत उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, बाद विवेचना डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद गोदरास में खसरा नम्बर 152, 229/327, 152/299 तथा 229/328 के मध्य नजरीनक्शा प्रदर्श–01 में मार्क ई ता एफ की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण मूलाराम व आनन्दाराम के खाते में घोषित की जाती है। यदि मौका पर रास्ते की भूमि अधिक हो तो, वह भूमि, वर्तमान में अवस्थित उत्तर व पश्चिम के रास्तों, में समाहित की जावे।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। प्रदर्श–01 नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **10.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 45/2009 दायर दिनाँक 04.05.2009

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. शिवकरण पुत्र नानूराम, जाति–जाट, उम्र–60साल, 2. पेमी पत्नी खांगाराम, जाति–जाट, उम्र–45साल, समस्त,निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मूलाराम पुत्र खांगाराम, 3. आनन्दाराम पुत्र खांगाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 10.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण व श्री भैरोंसिंह शेखावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद गोदरास में खसरा नम्बर 152, 229/327, 152/299 तथा 229/328 के मध्य नजरीनक्शा प्रदर्श–01 में मार्क ई ता एफ की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण मूलाराम व आनन्दाराम के खाते में घोषित की जाती है। यदि मौका पर रास्ते की भूमि अधिक हो तो, वह भूमि, वर्तमान में अवस्थित उत्तर व पश्चिम के रास्तों, में समाहित की जावे।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। प्रदर्श–01 नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner